FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बापतु मुकाम ....

प्रकाशचन्द्र वगैरा बनाम कान्तिलाल वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 321 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/11/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बापतु	
17/11/20	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 06/01/21 को पेश हों। [initials]	
06/01/21	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 17/03/21 को पेश हो। [initials]	
17/03/21	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 10/05/21 को पेश हो। [initials]	
10/05/21	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक [illegible] को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

05/08/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील करम तामील शुदा। [illegible] पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 01/11/21 को पेश हो।

26/10/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब कर सुनवाई करने बाबत का पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज ग्राम पंचायत माधासर में प्रशासन गाँवों के संग अभियान में रखी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, तहसीलदार बायतु से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया की प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या-1 से 16 के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा- खेजड़ियाली पटवार मण्डल- झाक तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर में खसरा नम्बर- 163 रकबा- 30.6287 हेक्टयर का आया हुआ है। जो प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या- 1 से 16 के कब्जे काश्त का है जिसपर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या- 1 से 16 की अपने विधिक हक हिस्से अनुसार रहवासी ढाणियाँ, टांके पशु बाड़े आदि बने हुए है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या- 1 से 5 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है। जिसमें प्रार्थी संख्या-1 का 6310/56790 हिस्सा, प्रार्थी संख्या - 2 का 6310/56[illegible] से खरीदा गया है। तथा विप्रार्थी संख्या [illegible] प्रत्येक का 1262/56790 - 1262/5[illegible] हिस्सा है [illegible] अनुसार पक्षकारों का मौके पर [illegible] बायतु तहसील का राजस्व रेकर्ड कम्प्यूटरीकरण (ऑन-लाईन) किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	प्रकाशचन्द्र वगैरह बनाम कांतीलाल वगैरह **हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** राजस्व आवेदन संख्या-321/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया तब राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या-1 के विधिक हक हिस्से 6310/56790 के स्थान पर 158/1983 व प्रार्थीनी संख्या-2 के विधिक हक हिस्से 6310/56790 के स्थान पर 105/1262 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या-1 से 5 प्रत्येक के 1262/56790 — 1262/56790 के स्थान पर 21/631-21/631 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में 6310/56790-6310/56790 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या-1 से 5 प्रत्येक का 1262/56790-1262/56790 हिस्सा खातेदारी अधिकारी का है। इसी मुताबिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश गलत हिस्से दर्ज कर दिये हैं जिसे प्रार्थीगण दुरस्त करवाने के विधिक अधिकारी है लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व आवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के दर्ज गलत हिस्से को शुद्ध किये जाने का आदेश किया जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा तहसीलदार बायतु से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी [illegible] जाकर विवादित अराजी मौजा-[illegible] मण्डल-आडू तहसील-बा[illegible] जिला-[illegible] खसरा नम्बर-163 रकबा [illegible] में खातेदारों के दर्ज गलत हिस्से प्रार्थी संख्या-1 का 158/1983 हिस्सा प्रार्थीनी संख्या-2 का 105/1262	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हिस्सा तथा विपक्षी संख्या-1 से 5 प्रत्येक का 21/631-21/631 हिस्सा दर्ज किया गया है के स्थान पर प्रार्थी संख्या-1 का 6310/56790 हिस्सा, प्रार्थिनी संख्या-2 का 6310/56790 हिस्सा तथा विपक्षीगण संख्या-1 से 5 प्रत्येक का 1262/56790-1262/56790 हिस्सा शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार बायतु आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नक्शा के कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested